

//1//

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2010/138

दायर दिनांक 01.10.2010

वादी	प्रतिवादीगण
1. लादुराम पुत्र प्रतापराम, जाति जांगिड़, निवासी ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	1. जीवणराम पुत्र प्रतापराम, 2. चम्पा देवी पत्नि प्रतापराम, 3. गोविन्दराम पुत्र अनाराम, 4. देवकरण पुत्र अनाराम, 5. चान्दुराम पुत्र चुनाराम, 6. तुलछाराम पुत्र चुनाराम, 7. किसनाराम पुत्र रामूराम, जाति जांगिड़, निवासियान ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,

बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित-

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।

--: अंतिम डिक्री निर्णय ::-

दिनांक :- 15.11.2018

सरहद मौजा ललासरी तहसील डीडवाना के खसरा संख्या 21, 22, 23, 24, 29, 224 के घोषणा खातेदारी व बंटवारा बाबत वादी का वाद दिनांक 30.06.2011 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र दिनांक 12.07.2017 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन पर उभयपक्ष सहमत है तथा इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गई, बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

—: आदेश :-

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा ललासरी तहसील डीडवाना के आराजी खेत खसरा संख्या 21, 22, 23, 24, 29 व 224 का बाईमीटस एण्ड बाउन्डस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(उर्मिल सिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (मार्ग)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 15 जनवरी 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(उर्मिल सिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (मार्ग)
डीडवाना

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्वा दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2010/138

दायर दिनांक 01.10.2010

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. लादुराम पुत्र प्रतापराम, जाति जांगिड, निवासी ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान		1. जीवणराम पुत्र प्रतापराम, 2. चम्पा देवी पत्नि प्रतापराम, 3. गोविन्दराम पुत्र अनाराम, 4. देवकरण पुत्र अनाराम, 5. चान्दुराम पुत्र चुनाराम, 6. तुलछाराम पुत्र चुनाराम, 7. किसनाराम पुत्र रामूराम, जाति जांगिड, निवासियान ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,

बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

--: अंतिम डिक्री निर्णय :-

दिनांक :- 15.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजरी मिनजानिब मुददई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादीगण की और से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा शरहद ललासरी पटवार क्षेत्र फोगड़ी भू- निरीक्षक क्षेत्र नुवां तहसील डीडवाना जिला नागौर में वादग्रस्त खसरान् 21, 22, 23, 24, 29, 224 का बाईमीटस एण्ड बाउन्डस से बन्तवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-.....मुबलिंग.....मुबलिंग.....-.....वाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.01.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दा	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफर्रिक मिजान	- -		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफर्रिक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सह सहायक कोलेक्टर
डीडवाना, (नागौर)
डीडवाना